

यह अध्याय, निधियों का विचलन किए बिना नीतिगत निर्णयों के प्रशासनिक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए अनुपूरक अनुदानों सहित बजटीय प्रक्रिया एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की प्रमाणिकता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता तथा आनुषंगिक वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करता है। यह विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं विनियोग के अनुदान-वार विवरणी एवं सेवा प्रदाय विभागों द्वारा इन आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की शैली को प्रदर्शित करता है। इसमें उपलब्धि प्रतिवेदन के साथ अन्य विशिष्ट बजट का विस्तृत विश्लेषण भी शामिल है।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिये विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र जारी किये जाने के साथ ही बजट प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें शामिल निर्देशों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों की तैयारी किये जाने हेतु सभी विभागों द्वारा अनुपालन करना होता है। यह सामान्य रूप से हर साल अगस्त-सितंबर में होता है जैसा कि बिहार बजट मैनुअल में निर्धारित है।

राज्य ने 01 अप्रैल, 2019 से सभी वित्तीय गतिविधियों के निर्बाध एकीकरण हेतु व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) के रूप में एक परियोजना शुरू की थी जिसने वर्तमान व्यापक कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी0टी0एम0आई0एस0) को प्रतिस्थापित किया है। बजट की तैयारी सी0एफ0एम0एस0 के तहत बजट प्रबंधन के उप-अनुखंडों में से एक है।

विधायी प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के व्यय हेतु अनिवार्य शर्त है। राज्य सरकार ने वित्तीय नियमों का निर्माण करते हुए प्रतिबंधित सीमा के अधीन व्यय के विनियोग/पुनर्विनियोग की स्वीकृति देने हेतु सक्षम प्राधिकार को निर्धारित करते हुए वित्तीय शक्तियों को प्रायोजित किया है। अनुपूरक अनुदान के अतिरिक्त, पुनर्विनियोजन का उपयोग अनुदान के अन्दर राशि का पुनः आवंटन करने के लिए भी किया जा सकता है। दो विभागों में बजट प्रक्रिया की समीक्षा पर चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

राज्य में एक विशिष्ट बजट तैयार करने की प्रक्रिया चार्ट 3.1 में दी गई है।



3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम द्वारा बजट के दोनों मदों, भारित और दत्तमत के रूप में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण, बचत तथा पुनर्विनियोगों को अलग-अलग दर्शाता है एवं विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत और राजस्व व्यय को इंगित करता है। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधि के उपयोग, वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को समझना सुगम करता है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा से यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है अथवा नहीं और ऐसे व्यय जिसे संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने की आवश्यकता है उसे निर्दिष्ट प्रकार से प्रभारित किया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.2.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत की सारभूत स्थिति को दत्तमत और भारित के रूप में विभाजित करते हुए नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत


(₹ करोड़ में)

	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
राजस्व	1,79,213.40	14,194.83	1,28,879.35	12,686.51	50,334.05	1,508.32
पूँजीगत	45,061.06	7,053.33	19,469.07	6,880.47	25,591.99	172.86
कुल	2,24,274.46	21,248.16	1,48,348.42	19,566.98	75,926.04	1,681.18
	2,45,522.62		1,67,915.40		77,607.22	

(स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे)

बजट के विभिन्न घटकों को नीचे दिए गए चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: बजट के घटक



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के विस्तृत विनियोग लेखे)

जैसा कि उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने कुल प्रावधान के विरुद्ध 68.39 प्रतिशत का व्यय किया था परिणामतः 31.61 प्रतिशत का बचत हुआ जो बजट तैयार करने की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया को इंगित करता है। अनुपूरक प्रावधान (₹ 33,761.12 करोड़) पूर्णतः अनावश्यक थे, क्योंकि व्यय मूल

प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था। वित्त विभाग ने लेखापरीक्षा मंतव्य को स्वीकार करते हुए इस बात की पुष्टि की कि यह बचत, वास्तविक धन/नकद की बचत न होकर केवल बजट प्रावधान की बचत है।

इसके अलावा, वर्ष 2020–21 के लिए मुख्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया में, राज्य सरकार ने कुछ विशिष्ट बजट जैसे कि परिणाम बजट, जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट और हरित बजट तैयार किया। परिणाम बजट 2020–21 के संबंध में उपलब्धि प्रतिवेदन भी तैयार कर विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इन बजटों एवं उपलब्धि प्रतिवेदन का एक-दूसरे के साथ तथा विनियोग लेखे के साथ विश्लेषण किया गया एवं उसके परिणामों पर चर्चा इस प्रतिवेदन के अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

3.2.2 भारत एवं दत्तमत संवितरण

पिछले पांच वर्षों (2016–21) के दौरान भारत और दत्तमत में किये गये कुल संवितरण का विवरण तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: 2016–21 के दौरान भारत और दत्तमत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत/आधिक्य		कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध बचत (प्रतिशत में)	
	दत्तमत	भारत	दत्तमत	भारत	दत्तमत	भारत	दत्तमत	भारत
2016-17	1,55,825.73	13,525.86	1,14,849.67	13,148.65	40,976.08	377.23	26.30	2.79
2017-18	1,72,021.43	15,322.52	1,26,263.69	14,683.63	45,757.76	638.90	26.60	4.17
2018-19	1,90,375.36	19,114.48	1,42,022.79	18,294.88	48,352.56	819.60	25.40	4.29
2019-20	2,08,629.14	19,858.04	1,30,506.24	19,135.68	78,122.90	722.36	37.45	3.64
2020-21	2,24,274.46	21,248.16	1,48,348.42	19,566.98	75,926.04	1,681.18	33.85	7.91

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 77,607.22 करोड़ की कुल बचत वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 33,761.12 करोड़ के अनुपूरक बजट से 2.30 गुना अधिक थी।

आवंटित निधियों में बचत की बड़ी मात्रा आवश्यकता के गलत आकलन के साथ-साथ अभीष्ट उद्देश्य के लिए निधियों का उपयोग करने की अपर्याप्त क्षमता दोनों को दर्शाती है।

3.3 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा

बजटीय सम्पूर्णता का अर्थ 'सार्वजनिक धन को जनहित के अनुसार उपयुक्त रूप से व्यय किया जाना' है। बजट विश्वसनीय होना चाहिए एवं राजकोषीय और वित्तीय प्रतिवेदन में निहित सूचनाएँ भरोसेमंद होनी चाहिए। बजट की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता अंततः व्यय को वास्तविक रूप से नियोजित करने, अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को ससमय और कुशलतापूर्वक लागू करने की विभाग की क्षमता पर निर्भर करेगी।

3.3.1 विनियोग अधिनियम/विस्तृत अनुदानों की मांग द्वारा अधिदिष्टी के बिना (लोक लेखे/ बैंक खातों में) अंतरण

यह देखा गया कि निधियों को बजट में प्रावधान के पश्चात व्यय हेतु वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग को भेजी गयी। विभाग द्वारा समग्र प्रावधानित राशि तत्काल उपयोग के लिए आवश्यक न होने पर भी आगे के भुगतान/निष्पादन के लिए इसे निर्धारित बैंक खाते में जमा करने हेतु आहरित कर लिया गया।

यह भी देखा गया कि कुल व्यय में से पूंजीगत व्यय का 57 प्रतिशत, ऋण और अग्रिम के अंतर्गत होने वाले व्यय का 54 प्रतिशत और राजस्व व्यय का नौ प्रतिशत सिविल जमा और स्थानीय निधियों के खातों में जमा किया गया। जिन शीर्षों द्वारा जमा लेखे (मुख्य शीर्ष-8448 और 8443) में निधियों का अंतरण हुआ उनका विवरण तालिका 3.3 में दिखाया गया है।

तालिका 3.3: मुख्य शीर्ष 8443 एवं 8448 में अंतरित निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	मुख्य शीर्ष-8448 में अंतरित		मुख्य शीर्ष -8443 में अंतरित	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
प्राप्तियाँ	76.67	276.69	0	0
राजस्व व्यय	8,456.84	11,876.36	248.79	538.88
पूँजीगत व्यय	11,485.31	9,166.60	893.12	1,330.20
ऋण एवं अग्रिम	609.38	605.79	0	0
लोक लेखे	9,158.00	11,824.36	162.44	283.74
योग	29,786.50	33,750.20	1,304.35	2,152.85

(स्रोत: वीएलसीओ डाटा)

विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत न होने के पश्चात् भी राज्य की संचित निधि से लोक लेखे के शीर्षों में निधियों का अंतरण बजटीय अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए किया गया। साथ ही यह वित्तीय वर्ष में किये गये व्यय को भी बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करता है।

3.3.2 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, विनियोग अधिनियम द्वारा वर्ष के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग चालू वित्त वर्ष के दौरान किया जा सकता है।

जब ऐसे अतिरिक्त व्यय जो कि अपरिहार्य हो, और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उस अनुदान में अतिरिक्त राशि के बचत होने की कोई संभावना न हो जिसे पुनर्विनियोग के माध्यम से पूरा किया जा सके, तब संबंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन के लिए प्रस्ताव रखते हैं जिसे बाद में अनुपूरक बजट के माध्यम से विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 44 मामलों (35 अनुदानों/विनियोगों) में, ₹ 17,855.06 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए और पूर्णतः अप्रयुक्त रहे क्योंकि व्यय (₹ 1,10,142.09 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,50,136.86 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा था जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में वर्णित है।

तथापि, सात महत्वपूर्ण मामलों में जहाँ ₹ 14,417.74 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 1,000 करोड़ और उससे अधिक) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ, नीचे तालिका 3.4 में दिखाया गया है।

तालिका 3.4: मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान

(₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक के मामले) अनावश्यक साबित हुआ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं की संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में हुई बचत
1	2	3	4	5	6	7 (4-6)
राजस्व (दत्तमत)						
1	16. पंचायती राज विभाग	23	10,135.21	2,462.63	8,236.01	1,899.20
2	20. स्वास्थ्य विभाग	93	9,129.43	2,284.93	8,520.45	608.98

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं की संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में हुई बचत
1	2	3	4	5	6	7 (4-6)
3	21. शिक्षा विभाग	144	33,950.48	3,177.54	26,401.69	7,548.79
4	42. ग्रामीण विकास विभाग	26	15,940.28	1,890.75	9,299.16	6,641.12
5	48. नगर विकास एवं आवास विभाग	64	7,163.72	2,179.48	5,590.39	1,573.33
(क) कुल राजस्व (दत्तमत)			76,319.12	11,995.33	58,047.70	18,271.42
पूँजीगत (दत्तमत)						
6	41. पथ निर्माण विभाग	13	5,068.75	1,346.84	3,203.88	1,864.87
7	49. जल संसाधन विभाग	14	2,957.74	1,075.57	1,956.17	1,001.57
(ख) कुल पूँजीगत (दत्तमत)			8,026.49	2,422.41	5,160.05	2,866.44
कुल योग (क+ख)			84,345.61	14,417.74	63,207.75	21,137.86

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे)

लेखापरीक्षा ने विश्लेषण में पाया कि संबंधित अनुदानों में व्यय प्रथम अनुपूरक बजट के समय मूल प्रावधान का 5.23 से 45.01 प्रतिशत तक और द्वितीय अनुपूरक बजट के समय व्यय 41.46 से 53.30 प्रतिशत तक था जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है-

तालिका 3.5: अनुपूरक प्रावधान जो अनावश्यक साबित हुआ

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	जुलाई 2020 तक का व्यय	मूल प्रावधान का व्यय प्रतिशत	प्रथम अनुपूरक (अगस्त 2020)	जनवरी 2021 तक व्यय	मूल प्रावधान का व्यय प्रतिशत	द्वितीय अनुपूरक (फरवरी 2021)	मार्च 2021 तक कुल व्यय	मूल प्रावधान का व्यय प्रतिशत
16	10,615.21	4,778.10	45.01	501.80	5,114.67	48.18	1,960.83	8,402.41	79.15
20	10,937.68	1,982.47	18.13	4.50	5,829.73	53.30	2,280.43	9,166.77	83.81
21	35,191.05	1,842.03	5.23	2,166.40	18,299.18	52.00	1,241.22	26,813.75	76.19
41	6,706.11	1,287.79	19.20	1,650.00	3,570.04	53.24	470.00	4,894.40	72.98
42	15,955.29	3,609.21	22.62	-	7,731.55	48.46	1,890.76	9,314.16	58.38
48	7,213.72	1,189.17	16.48	-	3,049.02	42.27	2,379.48	5,640.39	78.19
49	4,053.16	617.25	15.23	-	1,680.42	41.46	1,075.57	2,770.48	68.35

(स्रोत: वीएलसीओ डाटा)

मूल प्रावधान के विरुद्ध बचत होने के बावजूद, कई अनुदानों में इस प्रकार के अविवेकपूर्ण अनुपूरक बजट आवंटन से अन्य विभागों को निधि की कमी हुई, जो वित्तीय वर्ष के अंत में देयताओं के संचय और अपूर्ण योजनाओं की एक विस्तृत सूची से स्पष्ट है।

3.3.3 अनावश्यक और अत्यधिक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन का अर्थ, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विनियोग की एक इकाई से बचत का उसी अनुदान अथवा भारत विनियोग के अंतर्गत किसी अन्य इकाई में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए किया गया अंतरण है। इस प्रकार सरकार को निर्धारित सीमाओं और प्रतिबंधों के अधीन, एक उद्देश्य के लिए मूल प्रावधान को एक ही अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में पुनर्विनियोजन की अनुमति है।

विस्तृत विनियोग लेखे 2020-21 की जांच से पता चला है कि:

- 12 अनुदानों/विनियोगों के तहत 29 विस्तृत शीर्षों में ₹ 395.41 करोड़ का पुनर्विनियोजन अनावश्यक (पुनर्विनियोजन की आवश्यकता नहीं) साबित हुआ क्योंकि अंतिम बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख से अधिक) ₹ 749.71 करोड़ (परिशिष्ट 3.2) थी।

- 13 अनुदानों/विनियोगों के तहत 18 विस्तृत शीर्षों में पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रदान किए गए ₹ 1,356.49 करोड़, ₹ 702.01 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख से अधिक) की बचत को देखते हुए अत्यधिक (पुनर्विनियोजित राशि वास्तव में आवश्यकता से अधिक) साबित हुए (परिशिष्ट 3.3)। यह वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन को इंगित करता है।
- सात अनुदानों/विनियोगों के तहत 15 मामलों में ₹ 81.06 करोड़ की राशि पुनर्विनियोजित की गई थी जिसके लिए 31 मार्च, 2021 को पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए थे जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया है। बिना किसी विशिष्ट कारण के पुनर्विनियोजन अपर्याप्त व्यय नियंत्रण तंत्र को इंगित करता है।

पुनर्विनियोजन आदेशों के माध्यम से प्रावधान को बढ़ाना अनावश्यक/अत्यधिक साबित हुआ क्योंकि व्यय मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

3.3.4 अव्ययित राशि, अभ्यर्पित विनियोग और/या वृहत् बचत/अभ्यर्पण

प्रशासनिक और वित्त विभागों को अनुमानों की गणना में, गणना को प्रभावित कर सकने वाले, ज्ञात या यथोचित निकट तथ्यों के साथ पिछले वास्तविक के औसत से सिद्ध और अच्छी तरह से परखे जा चुके नियंत्रण को सख्ती से लागू करना चाहिए।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 37 अनुदानों से संबंधित दत्तमत और भारत व्यय के अधीन बचत के 56 मामले, प्रत्येक ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक, जिसकी कुल राशि ₹ 76,654.30 करोड़ (कुल प्रावधान ₹ 2,34,933.75 करोड़ का 32.63 प्रतिशत) थी, जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, 41 अनुदानों में कुल अनुदान और व्यय के बीच 20 प्रतिशत या उससे अधिक की महत्वपूर्ण भिन्नता थी, जिससे ₹ 74,887.52 करोड़ (₹ 1,92,265.37 के कुल प्रावधान का 39 प्रतिशत) की भारी बचत हुई। विनियोग लेखों में इन भिन्नताओं के कारणों को उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है (**परिशिष्ट 3.6**)।

विगत पाँच वर्षों के दौरान ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक के बचतों वाले प्रत्येक अनुदानों/विनियोगों की जाँच से पता चला की 27 अनुदानों से संबंधित 32 मामलों में कुल ₹ 37,502.92 करोड़ और अधिक की सतत बचत हुई जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में दर्शाया गया है।

सतत बचत यह संकेत करती है कि बजट आवंटन पिछले वर्षों के व्यय पर विचार किए बिना किया गया था। वर्ष 2020-21 में बजट के 50 प्रतिशत से कम उपयोग को **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग (2016-21)

क्रम सं०	अनुदान सं०	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्षों की सं०*
1	1	57.38 (2,896.81)	56.02 (3,020.80)	56.53 (3,306.88)	59.48 (3,618.84)	43.63 (3,435.02)	1
2	3	50.78 (3,505.87)	51.50 (5,054.69)	72.75 (4,445.14)	29.78 (5,988.35)	29.1 (5,402.78)	2
3	4	78.95 (661.78)	60.02 (486.62)	62.03 (378.35)	49.19 (618.89)	35.41 (512.78)	2
4	5	78.57 (17.45)	70.42 (20.08)	84.69 (22.47)	4.31 (30.89)	0.71 (29.63)	2
5	8	64.99 (125.94)	70.63 (137.55)	67.68 (139.12)	60.96 (155.65)	43.19 (170.87)	1

क्रम सं०	अनुदान सं०	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्षों की सं०*
6	11	61.20 (2,387.86)	79.66 (1,537.96)	77.53 (1,567.53)	88.22 (1,605.96)	24.05 (1,719.06)	1
7	12	87.16 (875.62)	86.53 (994.2)	92.20 (1,630.85)	77.25 (2,130.03)	16.41 (5,277.78)	1
8	18	49.20 (2,166.03)	50.05 (2,422.47)	79.09 (1,406.24)	50.25 (1,405.41)	32.33 (2,251.88)	2
9	23	77.53 (858.50)	73.35 (932.55)	85.01 (742.85)	46.78 (930.47)	48.09 (966.03)	2
10	30	87.52 (425.05)	50.68 (651.07)	57.59 (459.70)	48.98 (510.22)	44.94 (627.00)	2
11	37	94.55 (9,410.50)	68.71 (11,285.05)	34.37 (11,509.34)	29.41 (12,067.97)	44.67 (11,638.89)	3
12	40	54.30 (848.00)	62.92 (896.46)	67.68 (819.20)	57.80 (971.91)	47.49 (1,407.49)	1
13	45	66.54 (274.71)	41.96 (220.22)	67.48 (251.11)	65.53 (218.24)	39.20 (119.78)	2
14	46	19.34 (784.65)	83.84 (173.00)	43.72 (168.76)	16.23 (314.74)	18.22 (309.53)	4

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)


* 50 प्रतिशत से कम उपयोग वाले वर्षों की संख्या; कोष्ठक में आंकड़े वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित बजट को ₹ करोड़ में दर्शाते हैं

इन 14 अनुदानों में से दो अनुदान ऐसे थे जिनमें बजट का उपयोग पिछले पांच वर्षों में तीन या उससे अधिक बार 50 प्रतिशत से कम था। बिहार सरकार ने पिछले वर्षों में विभागों द्वारा व्यय की गई बजटीय राशि के प्रतिशत का संज्ञान नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप बजट अनुमान बढ़ा हुआ और अवास्तविक था। उदाहरणस्वरूप, अनुदान संख्या 37 के लिए, बजटीय राशि 2016-17 में ₹ 9,410.50 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 12,067.97 करोड़ हो गई, बावजूद इसके कि वास्तविक व्यय इन वर्षों में 94.55 प्रतिशत से गिरकर 29.41 प्रतिशत हो गया। यहां तक कि 2020-21 में बजट में कमी वास्तविक व्यय के प्रतिशत के अनुरूप नहीं थी। यह भी देखा गया कि अनुदान संख्या 37 (ग्रामीण कार्य विभाग) के तहत अधिकांश बचत मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना जैसी पूंजीगत योजनाओं के तहत हुई। अनुदान संख्या 46 (पर्यटन विभाग) के तहत प्रमुख बचत पूंजीगत योजना मुख्य शीर्ष 'पर्यटन संरचनाओं का विकास' के तहत प्रदर्शित हुई।

वर्ष 2020-21 में अभ्यर्पित राशि की जांच (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ और अधिक) से पता चला है कि 15 अनुदानों के तहत ₹ 12,836.85 करोड़ का अभ्यर्पण था। 13 अनुदानों के तहत अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था जो निधियों के गलत आकलन को दर्शाता है। अनुदानवार विवरण **परिशिष्ट 3.8** में प्रदर्शित है।

यह स्पष्ट है कि विभाग अपने मूल बजट प्रावधानों का उपयोग करने में विफल रहे जिसने अनुपूरक प्रावधान को निरर्थक कर दिया। अन्य तीन अनुदानों में अभ्यर्पित राशि अनुपूरक प्रावधानों से भी अधिक थी। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि अनुदान संख्या 3, 12 और 18 के अंतर्गत आने वाले विभाग, जो मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय करने के लिए उत्तरदायी हैं, उनके मूल बजट प्रावधानों के 70 प्रतिशत से अधिक की बचत को दर्शाता है। **चार्ट 3.3** में वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी कुल बचत के साथ-साथ बचत के प्रतिशत द्वारा समूहित अनुदानों/विनियोगों की संख्या को दर्शाया गया है।

चार्ट 3.3: कुल बचत के साथ बचत के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या




(स्रोत: वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे)

उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि 51 में से 14 अनुदानों में 50 प्रतिशत से अधिक बचत हुई थी जिसमें तीन अनुदानों में उनके बजट प्रावधानों का 80 प्रतिशत से अधिक बचत थी। इसलिए, राज्य को अपनी बजटीय प्रणाली की जांच करनी चाहिए, क्योंकि 33 प्रतिशत अनुदान उनके बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत से अधिक बचत को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पण चार्ट 3.4 में दिखाया गया है।

चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2020-21 के समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे)

बिहार बजट संहिता के कंडिका 104 के अनुसार, अतिरिक्त व्यय जो निश्चित रूप से पूर्वानुमानित नहीं थे अथवा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदित नहीं थे, उनको पूरा करने के लिए बचत में से कोई राशि रिजर्व में नहीं रखी जानी चाहिए। बचत का अभ्यर्पण चालू वर्ष के 15 फरवरी तक कर दिया जाना चाहिए। असाधारण मामलों में अभ्यर्पण वर्तमान वर्ष के 31 मार्च तक प्रस्तुत किया जा सकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारित प्रावधानों का व्यापक उल्लंघन करते हुए 15 फरवरी के बाद ₹ 6,216.76 करोड़ का वृहद अभ्यर्पण किया गया, जिसने अन्य विभागों को निधि से वंचित किया, जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

3.3.5 पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान

सहायता अनुदान एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्थान अथवा व्यक्तियों को दिये गये भुगतान हैं जो सहायता, दान अथवा अंशदान की प्रकृति के होते हैं। सहायता अनुदान किसी संस्था को विशिष्ट उद्देश्य के लिए सहायता के प्रयोजनार्थ दिया जाता है जिसमें परिसंपत्तियों का निर्माण भी शामिल है। आई0जी0ए0एस0-2 के अनुसार, उन मामलों को छोड़कर जहाँ भारत के नि0म0ले0प0 की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत न किया गया हो, किसी ग्राण्टर द्वारा ग्रांटी को संवितरित सहायता अनुदान को सहायता अनुदान की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाना है।

वित्त लेखे 2020-21 के परिशिष्ट-III के अनुसार, 2020-21 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल धनराशि ₹ 54,928.98 करोड़ थी, जिनमें से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आवंटित धनराशि ₹ 10,273.35 करोड़ (18.70 प्रतिशत) थी।

3.3.6 अधिकार्य व्यय और उसका नियमन

संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) में यह प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर कोई धनराशि उस वित्तीय वर्ष में उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक व्यय की गई है, तो राज्यपाल इस आधिक्य की मांग हेतु राज्य की विधानसभा में इसे प्रस्तुत करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि, राज्य सरकार वित्तीय वर्ष में अनुदानों/विनियोगों में प्रावधान से आधिक्य व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा अनिवार्य रूप से नियमन करायेगी।

यद्यपि, इस अनुच्छेद के अन्तर्गत अधिकार्य व्यय के नियमन की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूरी होने के बाद अधिकार्य व्यय का नियमन किया जाता है। ऐसा करने में विफल होना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और लोकनिधि के उपयोग पर विधायिका द्वारा कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करती है।

संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पशुपालन विभाग के अंतर्गत 1987-88 से 1996-97 की अवधि से संबंधित ₹ 657.98 करोड़ के अधिकार्य व्यय के 10 मामले विचाराधीन थे और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 1989-90 के एक मामले में ₹ 0.35 करोड़ की राशि का नियमितीकरण 31 मार्च 2021 तक नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 2019-20 में ₹ 2.30 करोड़ का एक मामला सामने आया था।

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणी

विभागों में बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रबंधन को बजटीय नियंत्रण प्रणाली की समस्याओं को हल करने के उपाय करने चाहिए। साथ ही, सरकारों को अपने बजटीय नियंत्रण प्रणाली के प्रत्येक कार्यनिष्पादन संकेतक के लिए वार्षिक उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए ताकि विभाग प्रत्येक संकेतक के लिए निर्धारित वार्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें।

3.4.1 बजट प्रक्षेपण और अपेक्षा एवं वास्तविकी के बीच का अंतर

कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न वित्तीय संकेतकों की प्राप्ति को संतुलित रखता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति तालिका 3.7 में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.7: वर्ष 2020-21 के दौरान बजट प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	मार्च 2021 में अभ्यर्पित की गई राशि	मार्च 2021 में अभ्यर्पित बचतों की प्रतिशतता (कॉलम 8/कॉलम 6*100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दत्तमत								
I- राजस्व	1,50,590.33	28,623.07	1,79,213.40	1,28,879.35	50,334.05	5,988.17	965.92	1.92
II- पूँजी	38,744.58	4,586.92	43,331.50	18,355.09	24,976.41	6,106.26	28.03	0.11
III- ऋण और अग्रिम	1,230.44	499.12	1,729.56	1,113.98	615.58	0.00	0.00	0.00
कुल दत्तमत	1,90,565.35	33,709.11	2,24,274.46	1,48,348.42	75,926.04	12,094.43	993.95	1.31
प्रभारित								
IV- राजस्व	14,160.88	33.95	14,194.83	12,686.51	1,508.32	972.90	0.39	0.03
V- पूँजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI- सार्वजनिक ऋण अदायगी	7,035.27	18.06	7,053.33	6,880.47	172.86	0.00	0.00	0.00
कुल प्रभारित	21,196.15	52.01	21,248.16	19,566.98	1,681.18	972.90	0.39	0.03
कुल योग	2,11,761.50	33,761.12	2,45,522.62	1,67,915.40	77,607.22	13,067.33	994.34	1.28

टिप्पणी: व्यय में ₹ 2,072.41 करोड़ की राशि के राजस्व व्यय की वसूली / वापसी और ₹ 146.50 करोड़ के पूँजीगत व्यय की वसूली को व्यय में कमी के रूप में समायोजित किया गया है।

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे)


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान ₹ 2,45,522.62 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 1,67,915.40 करोड़ (68.39 प्रतिशत) का व्यय हुआ। यह दर्शाता है कि ₹ 33,761.12 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान परिहार्य था यद्यपि व्यय मूल प्रावधान (₹ 2,11,761.50 करोड़) के स्तर तक भी नहीं आया था।

₹ 77,607.22 करोड़ (31.61 प्रतिशत) की समग्र बचत, राजस्व खंड के अन्तर्गत 46 अनुदानों तथा आठ विनियोगों में ₹ 51,842.37 करोड़ की बचत तथा पूँजीगत खंड के अन्तर्गत ऋण तथा अग्रिम भाग के सात अनुदानों तथा लोक ऋण पुनर्भुगतान के एक अनुदान सहित 34 अनुदानों में ₹ 25,764.85 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप हुई।

₹ 77,607.22 करोड़ के कुल बचत में से केवल 16.84 प्रतिशत (₹ 13,067.33 करोड़) का अभ्यर्पण वर्ष के दौरान हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 64,539.89 करोड़ के बचत (कुल बचत के 83.16 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं हुआ। कुल बचत अनुपूरक प्रावधान से 229.87 प्रतिशत अधिक थी। बजट में समग्र प्रावधान के सापेक्ष समग्र बचत और आधिक्य के प्रतिशत की प्रवृत्ति चार्ट 3.5 में दिखाया गया है।

चार्ट 3.5: 2016-17 से 2020-21 के दौरान बजट का उपयोग

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चलता है कि विनियोग से संबंधित कुल बचत पिछले पाँच वर्षों के दौरान 23.47 प्रतिशत से 34.51 प्रतिशत था, जो महत्वपूर्ण है। यह गलत अनुमान तथा प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने में योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग की विफलता को इंगित करता है।

इसके अलावा, 47 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 532 विस्तृत लेखा शीर्षों में ₹ 12,155.10 करोड़ के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के मामले थे। इन मामलों में से 26 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 102 मामलों में ₹ 11,646.15 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ और अधिक) के कुल प्रावधान अप्रयुक्त थे जैसा कि **परिशिष्ट 3.9** में वर्णित है। निधियों का उपयोग न होने से पता चलता है कि बजट को या तो उचित दूरदर्शिता के बिना तैयार किया गया था या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गंभीर चूक हुई थी।

3.4.2 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत समाज कल्याण एवं अन्य योजनाओं से संबंधित, प्रमुख नीतियों की घोषणा बजट में की गयी। इस विषय पर 44 में से 14 विभागों ने जवाब दिया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभागों द्वारा कुछ प्रमुख नीतिगत पहल की गई थी परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी जैसा की नीचे तालिका 3.8 में वर्णित है।

तालिका 3.8: नीतियाँ जिनके लिए प्रावधान किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय
1	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन	इंटीग्रेटेड एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम	4.00	4.00	0.00
2	अल्पसंख्यक कल्याण	मुस्लिम परित्यक्त महिलाओं को वित्तीय सहायता	2.00	2.00	0.00
3		मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (आय-सह-मेधा, प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप)	1.00	1.00	0.00
4	लघु जल संसाधन	राज्य योजना भवन	2.50	2.50	0.00
5	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	40.00	40.00	0.00
6		पोस्ट मैट्रिक वजीफा	60.00	60.00	0.00
7		अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम की शेयर पूंजी	4.00	4.00	0.00
8		अनुसूचित जाति के विकास की योजना	1.45	1.45	0.00
9		अनुसूचित जाति के विकास की योजना	4.25	4.25	0.00
10		अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए भवन	3.00	3.00	0.00
11	गन्ना उद्योग	शेष परिव्यय	15.22	15.22	0.00

(स्रोत: विभागों से प्राप्त आँकड़े)

विभागों द्वारा प्राक्कलनों में संशोधन का कारण सूचित नहीं किया गया है। यह लाभार्थियों को उद्दिष्ट लाभ से वंचित करता है। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को निधि से वंचित करता है, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

3.4.3 पुनर्विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का उल्लंघन


किसी वर्ष के अनुदान या विनियोगों के भीतर अनुज्ञेय पुनर्विनियोगों को वर्ष के भीतर ही किसी समय स्वीकृत किया जाना चाहिए लेकिन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एक मामले में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अप्रैल (08.04.2021) में पुनर्विनियोग के लिए अनुरोध किया और वित्त विभाग ने निर्धारित प्रावधान के विरुद्ध ₹ 5.47 करोड़ की राशि के लिए मई (06.05.2021) में अपनी मंजूरी दी।

3.4.4 सघन व्यय

बिहार बजट संहिता (बी0बी0एम0) यह निर्धारित करता है कि जब तक कि अपरिहार्य न हो विलंब से होने वाले आवंटनों से परहेज किया जाय। वर्ष के अंत में किसी संवितरण अधिकारी के व्याधीन राशि अक्सर फिजूलखर्ची और सघन व्यय को आमंत्रित करती है। बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए व्यय का एक समान प्रवाह आवश्यक है।

लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि 13 विभागों में, अंतिम तिमाही के दौरान व्यय (₹ 14,838.40 करोड़) तथा मार्च 2021 में व्यय (₹ 9,837.20 करोड़), वर्ष के दौरान कुल व्यय (₹ 25,151.25 करोड़) का क्रमशः 59 प्रतिशत और 39.11 प्रतिशत थे जैसा कि **परिशिष्ट 3.10** में विस्तृत है। मार्च 2021 में 29 अनुदानों के 87 विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत कुल मूल प्रावधान ₹ 7,583.75 करोड़ (प्रत्येक एक करोड़ रुपये एवं अधिक के मामले) के व्यय के प्रकरण थे जैसा की **परिशिष्ट 3.11** में विस्तृत है। हालांकि, पूरे विनियोग के लिए, मार्च 2021 में व्यय कुल व्यय का 20 प्रतिशत था जबकि मार्च 2021 में प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों की 25 प्रतिशत थी। वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय की माहवार प्रवृत्ति चार्ट 3.6 में दिखाई गई है।


चार्ट 3.6: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मासिक प्राप्तियाँ और व्यय



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के मासिक व्यय प्रतिवेदन तथा मासिक सिविल लेखे)

इसके अतिरिक्त, **परिशिष्ट 3.10** दर्शाता है कि मार्च 2021 में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अधिकतम 96.96 प्रतिशत (₹ 400.85 करोड़) का व्यय हुआ था, परंतु कुल व्यय की गई राशि के आधार पर, मार्च 2021 में शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा ₹ 2,590.56 करोड़ का अधिकतम व्यय किया गया था जबकि मूल बजट प्रावधान ₹ 7,213.72 करोड़ और अनुपूरक प्रावधान ₹ 2,379.48 करोड़ (फरवरी 2021) उपलब्ध था तथा विभाग का कुल वास्तविक व्यय केवल ₹ 5,640.39 करोड़ था। मासिक व्यय नीचे चार्ट 3.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.7: मार्च में व्यय की अधिकता को इंगित करता शहरी विकास एवं आवास विभाग का माहवार व्यय



(स्रोत: वर्ष 2020-21 का मासिक व्यय प्रतिवेदन)


लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च महीने में ₹ 2.42 करोड़ की राशि लोक लेखे में अंतरित की गई थी। इस प्रकार वर्ष के अंतिम भाग/दिन में विभाग द्वारा वृहत राशि का व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन एवं प्रभावी व्यय नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में सघन व्यय वित्तीय औचित्य का उल्लंघन है।

3.4.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई थी।

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम 2015 के द्वारा बिहार सरकार ने 01 अप्रैल 2020 से 30 मार्च 2021 की अवधि के लिए निधि के कोष को अस्थायी रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 8,470.45 करोड़ कर दिया। यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा एवं भूकम्प तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित वैसे परियोजनाओं के राज्यांश को पूरा करने के लिए, जिसके लिए बजट प्रावधान न किया गया हो एवं व्यय को तत्काल किया जाना हो, के लिए था। बढ़ाई गई कुल राशि के पचास प्रतिशत का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों के लिए किया जाना था। यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 5,825.42 करोड़ की राशि के 65 आहरण किये गये थे जिसमें से कुल ₹ 2,335.72 करोड़ (40.10 प्रतिशत) के 32 आहरण गैर-आकस्मिक व्यय के लिए किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 3.12** में विस्तृत है।

चार्ट 3.8: आकस्मिक निधि से गैर आकस्मिक व्यय



इस प्रकार, एक नियमित बजट में धनराशि का प्रावधान करने के बजाय, इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आकस्मिक निधि से स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, आकस्मिकता निधि के विश्लेषण से पता चला कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान न केवल प्राकृतिक आपदाओं पर राहत और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के राज्यांश को पूरा करने के लिए परंतु गैर-आकस्मिक प्रवृत्ति के व्यय के लिए भी अस्थायी आधार पर इसे नियमित रूप से बढ़ाया जाता रहा है। तथापि, पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय आकस्मिकता निधि से आहरित निधि का 34.52 से 78.77 प्रतिशत था जैसा कि तालिका 3.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: आकस्मिकता निधि से प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	वर्ष	आकस्मिकता निधि से कुल व्यय	प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
1	2016-17	4,416.63	1,524.42	34.52
2	2017-18	4,949.21	3,898.33	78.77
3	2018-19	4,353.49	1,725.00	39.62
4	2019-20	3,529.76	2,332.00	66.07
5	2020-21	5,825.42	2,925.53	50.22

(स्रोत: वित्त विभाग के अभिलेख)

वित्त विभाग पर उपरोक्त नियमित व्यय के लिए बजटीय प्रावधान करने और इसे वार्षिक बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में अपेक्षित पूर्व विधायी अनुमोदन प्राप्त करने का दायित्व था।

आकस्मिकता निधि का उपयोग संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध एक अग्रदाय खाते के रूप में किया जा रहा है।

3.5 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणी

बजटीय पारदर्शिता से तात्पर्य सभी प्रासंगिक वित्तीय सूचनाओं का समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से संपूर्ण प्रकटीकरण और सरकारी राजस्व, आवंटन और व्यय पर सटीक सूचना प्रदान करना है। इस संदर्भ में, बिहार सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) की शुरुआत (01 अप्रैल 2019) की।

बजट को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के बजट के साथ परिणाम बजट, जेन्डर बजट, बाल कल्याण बजट और हरित बजट तैयार किया ताकि उनके लिए निर्धारित सार्वजनिक निधियों का उनको आवंटन किया जा सके तथा लेखांकन एवं उपलब्धियों को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके। बजट 2020-21 के संदर्भ में एक उपलब्धि प्रतिवेदन भी तैयार कर विधानमंडल के पटल पर रखा गया था।

बजट दस्तावेजों के तुलनात्मक अध्ययन/विश्लेषण से पता चला कि मुख्य बजट में शामिल कुल 2483 योजनाओं के मुकाबले "परिणाम बजट" में केवल 1284 योजनाएं तथा "उपलब्धि प्रतिवेदन" में केवल 698 योजनाएं ली गई थीं जैसा कि तालिका 3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.10: विशिष्ट बजट के साथ बजट का तुलनात्मक विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बजट	योजनाओं की संख्या	बजट राशि	मूल बजट का प्रतिशत	व्ययित राशि (विनियोग लेखा)	बजट अनुमान के मुकाबले प्रतिशत व्यय	ग्रुप 'अ' योजनाओं की संख्या
1	विनियोग लेखा	2126	2,45,522.62	100.00	1,67,915.40	100.00	
2	परिणाम बजट (बजट अनुमान)	1284	1,35,187.04	55.06	93,703.06	55.80	
3	जेन्डर बजट (बजट अनुमान)	551	33,176.27	13.51	50,103.08	29.84	80
4	बाल कल्याण बजट (बजट अनुमान)	209	37,257.58	15.17	31,950.63	19.03	
5	हरित बजट (बजट अनुमान)	231	5,693.88	2.32	14,231.42	8.48	66
6	उपलब्धि प्रतिवेदन (पुनरीक्षित अनुमान)	698	1,18,202.71	48.14	78,955.42	47.02	

(स्रोत: विनियोग लेख के साथ परिणाम, जेन्डर, बाल कल्याण एवं हरित बजट और उपलब्धि प्रतिवेदन)

विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि राज्य ने प्रत्येक वर्ष एक अभ्यास के रूप में विधान मंडल के समक्ष विशिष्ट बजट प्रस्तुत किया है, लेकिन विभाग अभी भी योजनाओं के लेखांकन को गुणवत्ता प्रदान करने में पीछे हैं। यद्यपि पिछले पांच वर्षों में बजट परिव्यय के आकार में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, तथापि राज्य में अंतर-विभागीय समन्वय और जेन्डर संवेदीकरण के प्रशासनिक संस्थान कमजोर हैं।

3.6 चयनित अनुदानों की समीक्षा

वर्ष 2020-21 के दौरान बचत/आधिक्य एवं बजट प्रावधानों तथा अनुपूरक मांगों के परिमाण के आधार पर अनुदान संख्या-37, ग्रामीण कार्य विभाग एवं अनुदान संख्या-42, ग्रामीण विकास विभाग की बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई। समीक्षा के परिणाम नीचे विस्तृत हैं -

3.6.1 अनुदान संख्या 37: "ग्रामीण कार्य विभाग"

ग्रामीण सड़कों के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों को अनेक सामाजिक-आर्थिक लाभ होते हैं जो अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करता है। बिहार सरकार राज्य के सर्वांगीण सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ग्रामीण सड़कों (आवश्यक पुलियों और जल निकासी संरचनाओं सहित) के निर्माण की जिम्मेदारी ग्रामीण कार्य विभाग के पास है।

राज्य को 1,29,209 चिह्नित बसावटों के ग्रामीण संपर्क के लिए कुल 1,29,473¹³ कि०मी० ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना था और अब तक 68,174 चिह्नित बसावटों के लिए कुल 68,591 कि०मी० ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसमें से 45,672 चिह्नित बसावटों के लिए पी०एम०जी०एस०वाई० के तहत लगभग 45,832 कि०मी० ग्रामीण सड़क का निर्माण किया गया

¹³. <https://rwdbihar.gov.in/AboutUs.aspx> : कार्यकारी सारांश

है। राज्य को पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत करीब 10,937 कि0मी0 लंबाई की सड़क सहित 60,882 कि0मी0 अतिरिक्त सड़क का निर्माण करना था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस अनुदान में पाँच मुख्य शीर्ष (2245, 2515, 3054, 3451 और 4515) संचालित थे। संक्षिप्त वित्तीय प्रावधान नीचे तालिका 3.11 में वर्णित है –

तालिका 3.11: 2020-21 के लिए संक्षिप्त विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	बजट अनुमान	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (3+4)	कुल व्यय	बचत (5-6)	कुल प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूँजीगत	9,424.00	00	9,424.00	3,310.69	6,113.31	64.87
2	राजस्व	1,214.89	1,000.00	2,214.89	2,016.83	198.06	8.94
	कुल	10,638.88	1,000.00	11,638.89	5,327.52	6,311.37	54.23

(स्रोत: ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार)

अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित तथ्यों का पता चला :

3.6.1.1 बजटीय प्रक्रिया

- योजना और विकास विभाग ने ₹ 8,768.05 करोड़ के मूल प्रस्ताव (राजस्व और पूंजीगत शीर्ष में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में ₹ 500.00 करोड़) को बढ़ाकर ₹ 9,619.00 करोड़ कर दिया था। अंततः वित्त विभाग ने ₹ 1,000 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान सहित ₹ 11,638.89 करोड़ का प्रावधान किया। विभाग ने केवल ₹ 5,327.52 करोड़ (45.77 प्रतिशत) का ही व्यय किया।
- कुल प्रावधान में से, पूंजीगत खंड हेतु ₹ 9,424 करोड़ और पी0एम0जी0एस0वाई0 के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 5,086.00 करोड़ (विभाग के मूल प्रस्ताव से 10 गुना अधिक) थे। भारत सरकार ने ₹ 5,086.00 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 1.13 करोड़ (0.02 प्रतिशत) प्रशासनिक व्यय हेतु जारी किए थे और यह राशि जिसे व्यय के रूप में दिखाया गया है, वास्तव में लोक लेखे में पड़ी थी। पी0एम0जी0एस0वाई0 के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित मानदंडों को पूरा नहीं करने के परिणामस्वरूप योजना के तहत पूंजीगत कार्यों के लिए धन जारी नहीं की गयी थी।

कुल प्रावधान और कुल आवंटन के बीच बड़ा अंतर यह प्रदर्शित करता है कि वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान बिना किसी उचित योजना के तैयार किया गया था। लेखापरीक्षा ने विशेष रूप से पाया कि पी0एम0जी0एस0वाई0 के पूंजीगत खंड का बजट निर्माण अत्यधिक अवास्तविक और त्रुटिपूर्ण था।

3.6.1.2 योजना कार्यान्वयन

- विभाग द्वारा 2016-17 से 2020-21 के दौरान लगभग 912.73 कि0मी0¹⁴ लम्बाई की कम से कम 388¹⁵ सड़क परियोजनाओं (राज्य योजनाएं-193) का संवेदक के साथ करार निष्पादन के चरण में परित्याग कर दिया गया था (परिशिष्ट 3.13)।
- लेखापरीक्षा ने यह पाया कि राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी द्वारा 2016-17 से 2020-21 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के 4973 निरीक्षणों में 1029 सड़क और पुल परियोजनाओं को "असंतोषजनक" की श्रेणी में रखा था। इस प्रकार, यह राज्य के निगरानी तंत्र की कमियों को इंगित करता है (परिशिष्ट 3.14)।

¹⁴ राज्य योजना अंतर्गत 284.01 कि0मी0 एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत 628.72 कि0मी0।

¹⁵ 193 राज्य योजनाएँ एवं 195 पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क परियोजनाएँ।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने पी0एम0जी0एस0वाई0 के केंद्राश से वर्ष 2020–21 के लिए लेखा शीर्ष 37–4515001030216 के मद में वृक्षारोपण के लिए ₹ 27 करोड़ का प्रावधान किया था जो कि योजना के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन था।

3.6.1.3 वित्तीय प्रबंधन

- लेखापरीक्षा ने पाया कि विनियोग लेखे के अनुसार विभाग का कुल व्यय ₹ 5,199.65 करोड़ था जबकि विभाग ने ₹ 5,327.52 करोड़ (₹ 127.87 करोड़ अधिक) के व्यय की सूचना दी थी जिसके समाशोधन की आवश्यकता थी।
- पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओ0एम0एम0ए0एस0) के माध्यम से दर्शाये गए व्यय और बिहार सरकार के विस्तृत विनियोग लेखाओं में दर्ज व्यय की राशि में ₹ 1,885.18 करोड़ का भारी अंतर था (**परिशिष्ट 3.15**)।
- बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (बी0आर0आर0डी0ए0) और बिहार सरकार के विस्तृत विनियोग लेखाओं के बीच पूंजीगत व्यय में ₹ 1,579.58 करोड़ और राजस्व व्यय में ₹ 3,183.63 करोड़ का अंतर था (**परिशिष्ट 3.16**)।
- बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान पी0एम0जी0एस0वाई0 कार्यक्रम निधि के लिए ₹ 2883.57 करोड़ के केंद्रीय हिस्से के अनुपातिक 40 प्रतिशत समतुल्य राज्यांश के रूप में ₹ 2000.00 करोड़ की राशि जारी की गई थी, जो ₹ 77.62 करोड़ अधिक थी। यह राशि अलग बैंक खाते (आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक खाता सं0 040401010716) में रखी गई थी। उस खाते में उपार्जित / प्राप्त ₹ 54.13 लाख का ब्याज अब तक अप्रयुक्त था। खाता अभी भी परिचालन में है (सितंबर 2021)।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य योजना के अंतर्गत स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष के तहत व्यय की गई ₹ 323.07 करोड़ की राजस्व प्रकृति के राशि को पूंजीगत व्यय के रूप में लेखांकित किया गया था (**परिशिष्ट 3.17**)। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि राजस्व प्रयोजनों और परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वर्ष 2020–21 के लिए सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए गये ₹ 68.21 करोड़ की राशि को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाये जाने पर विभाग ने गलती स्वीकार करते हुए कहा कि वित्त विभाग के निर्देश के तहत इन व्ययों को अब से राजस्व शीर्ष के तहत लेखांकित किया जाएगा।
- यह पाया गया है कि राजस्व शीर्ष के तहत पी0एम0जी0एस0वाई0 के लिए प्राप्त ₹ 234.26 करोड़ (₹ 1.13 करोड़ + ₹ 233.13 करोड़) की राशि को मुख्य शीर्ष 4515 के तहत व्यय के रूप में लेखांकित किया गया था। परिणामस्वरूप राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति और पूंजीगत व्यय का अतिशयोक्ति हुई।
- पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना पर अर्जित ₹ 1,630.61 करोड़ की ब्याज की राशि 31 मार्च 2021 तक अप्रयुक्त थी। इसका उपयोग इसी योजना के लिए किया जाना था, हालांकि, अब तक इसका उपयोग न करना निधि की पार्किंग की ओर इंगित करता है।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि नोडल अधिकारी के पास सी0एफ0एम0एस0 पूर्व के बैंक खाते अभी भी अस्तित्व में हैं और इन लेखाओं में एम0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यक्रम निधि के तहत ₹ 75.12 करोड़ (मार्च 2021) का अंतशेष और ब्याज पड़ा हुआ है। यह वित्त विभाग¹⁶ के आदेशों का उल्लंघन था। सी0एफ0एम0एस0 के कार्यान्वयन के बाद भी बैंक खातों को संचालित रखने का कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया (सितंबर 2021)।

3.6.1.4 आस्थगित देयता

ओ0एम0एम0ए0एस0 के अनुसार 2006–07 से 2020–21 के दौरान भौतिक रूप से काम के पूर्ण होने के बाद भी पी0एम0जी0एस0वाई0 की 278 परियोजनाओं और एम0एम0जी0एस0वाई0 की 11,938 परियोजनाओं के लिए संवेदकों को क्रमशः ₹ 83.44 करोड़ और ₹ 1,561.52 करोड़ का भुगतान नहीं

¹⁶ वित्त विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक 2575 दिनांक 14.05.2020।

किया गया था, जबकि विभाग के पास उनके पी0एल0 खाते में पर्याप्त निधि उपलब्ध थी (सितंबर 2021)। विभाग से आस्थगित देयता का कारण प्रतीक्षित है।

3.6.1.5 अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

- लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 और 2016-17 के दौरान ए0सी0 विपत्र के माध्यम से आहरित ₹ 41.64 करोड़ की राशि 31 मार्च 2021 तक असमायोजित पड़ी थी। आगे यह देखा गया कि ए0सी0 विपत्रों के माध्यम से आहरित राशि पी0एम0जी0एस0वाई0 और एम0एम0जी0एस0वाई0 परियोजनाओं से संबंधित योजनागत गतिविधियों के लिए थी, जो कि बी0एफ0आर0 (बिहार वित्तीय नियमावली) और बी0टी0सी0 (बिहार ट्रेजरी कोड) के संबंधित नियमों के विपरीत है।
- इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में ₹ 10.00 करोड़ प्राप्त/आहरित किये गये थे, जिनके विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किए गए थे (सितंबर 2021)।

3.6.2 अनुदान संख्या 42: "ग्रामीण विकास विभाग"

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार ग्रामीण इलाकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम लागू करता है। विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा कर एवं आधारभूत संरचना बनाकर ग्रामीण परिवार की स्थिति में सुधार करता है। बिहार सरकार गरीबों के कौशल विकास के लिए संस्थानों के निर्माण और आजीविका को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो व्यक्तियों के कौशल विकास में वृद्धि एवं स्वयं सहायता समूहों की योग्य श्रेणियों के लिए स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है। विभाग का लक्ष्य बहु-आयामी रणनीति के तहत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लोगों का सतत विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि प्रदान करना है।

ग्रामीण विकास विभाग के लिए निर्धारित अनुदान संख्या 42 में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 10 मुख्य शीर्षों (2203, 2215, 2216, 2220, 2501, 2505, 2515, 3451, 3454 और 4515) के माध्यम से अपना वित्तीय प्रबंधन का संचालन कर रहा था।

बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई। संक्षिप्त वित्तीय परिव्यय/प्रावधान नीचे तालिका 3.12 में वर्णित हैं -

तालिका 3.12: संक्षिप्त वित्तीय परिव्यय/प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बजट अनुमान	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (3+4)	व्यय	बचत (5-6)	कुल प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	राजस्व	15,940.28	1,890.75	17,831.03	9,299.16	8,531.87	47.85
2	पूँजीगत	15.01	0.00	15.01	15.00	0.01	0.07
	कुल	15,955.29	1,890.75	17,846.04	9,314.16	8,531.88	47.81

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के लिए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के विनियोग लेखे)

अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हुए:

3.6.2.1 बजटीय प्रक्रिया

- कुल प्रावधान ₹ 17,846.04 करोड़ के विरुद्ध ₹ 8,531.88 करोड़ की राशि की बचत हुई थी। वित्त विभाग ने कहा कि योजना पी0एम0ए0वाई0-(ग्रा0) के केन्द्रांश की राशि ₹ 4,798.70 करोड़ का अंतरण कार्यान्वयन एजेंसी को सीधे किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य के बजट में किए गए प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका।

- लोहिया स्वच्छता योजना¹⁷ और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना¹⁸ के बजट प्रस्ताव में क्रमशः 100 प्रतिशत और 4125.10 प्रतिशत की वृद्धि की गई, परंतु विभाग इन योजनाओं के तहत कोई भी व्यय करने में विफल रहा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रा0 [पी0एम0ए0वाई0—(जी0)], के लिए कुल ₹ 9,087.58 करोड़ के प्रावधान में से पी0एम0ए0वाई0—(जी0) के लिए ₹ 6,208.92 करोड़ का बजट केन्द्रांश के रूप में रखा गया था। भारत सरकार ने केन्द्रांश की राशि के विरुद्ध केवल ₹ 1,885.32 करोड़ (30.36 प्रतिशत) ही जारी किए।
- मनरेगा योजनाओं में केंद्रांश एवं राज्यांश के रूप में ₹ 3,095 करोड़ के कुल प्रावधान में से वर्ष के दौरान केवल ₹ 2,027.38 करोड़ (66 प्रतिशत) व्यय किए गए।

कुल प्रावधान और कुल आवंटन के बीच बड़ा अंतर यह संकेत करता है कि वर्ष 2020–21 के लिए बजट का अनुमान बिना उचित योजना के तैयार किया गया था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पी0एम0ए0वाई0—(जी0) के लिए बजट अवास्तविक और गलत था।

3.6.2.2 वित्तीय प्रबंधन

- कुल ₹ 17,846.04 करोड़ के प्रावधान में से केवल ₹ 9,314.16 करोड़ का उपयोग किया गया था। इस प्रकार, ₹ 8,531.88 करोड़ (47.81 प्रतिशत) की बचत हुई जिसमें से केवल ₹ 671.51 करोड़ (7.87 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित किए गए।
- विभाग द्वारा समुचित समाशोधन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप व्यय के आंकड़ों में ₹ 44.88 लाख का अंतर पाया गया।
- कुल व्यय ₹ 463.24 करोड़ में से ₹ 218.20 करोड़¹⁹ (47 प्रतिशत) की राशि का व्यय माह मार्च 2021 में तीन लेखा शीर्षों के तहत की गई थी।
- 2016–17 से 2020–21 के दौरान पी0एम0ए0वाई0—(जी0)/आई0ए0वाई0 की योजनाओं पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 376.71 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं किया गया था। इसका उपयोग उसी योजना के लिए किया जाना था जो कि वर्तमान तिथि तक नहीं की जा सकी है, यह निधि के पार्किंग को इंगित करता है।

इस प्रकार, बचत की बड़ी राशि, बैंक खातों में राशि की पार्किंग और वर्ष के अंतिम समय में व्यय करने से बजट प्रावधानों एवं व्यय के दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन तथा प्रभावी बजटीय नियंत्रण की कमी का संकेत मिलता है।

3.6.2.3 योजना कार्यान्वयन

मनरेगा योजनाओं में जहां लक्ष्य और उपलब्धि दोनों की मात्रा निर्धारित की गई थी, वहाँ 2500 लाख मानव-दिवसों के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि में 217 लाख मानव दिवसों (₹ 268.64 करोड़²⁰) की कमी थी।

3.6.2.4 आस्थगित देयता

- मनरेगा योजना में ₹ 1067.62 करोड़ की पर्याप्त राशि रहने के बावजूद ₹ 821.61 करोड़ (22 अक्टूबर 2021 को एम0आई0एस0 के अनुसार) की आस्थगित देयता थी।
- कार्यान्वयन एजेंसी को विलंब से केंद्रांश जारी करने के एवज में ₹ 25.42 करोड़²¹ की ब्याज राशि के भुगतान का उत्तरदायित्व था। आस्थगित देयता ने राजकोषीय घाटे में उस सीमा तक बढ़ोत्तरी की।

¹⁷ लोहिया स्वच्छता योजना में ₹ 100.00 करोड़ की मांग के विरुद्ध योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा ₹ 200.00 करोड़ का बजट अनुमान अनुमोदित किया गया।

¹⁸ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में ₹ 10.00 करोड़ की मांग के विरुद्ध योजना एवं विकास विभाग द्वारा ₹ 422.51 करोड़ का बजट अनुमान अनुमोदित किया गया।

¹⁹ ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान: ₹ 1.73 करोड़ (100 प्रतिशत), एन0आर0एल0एम0: ₹ 197.25 करोड़ (47 प्रतिशत) एवं प्रखण्ड आई0टी0 केन्द्र: ₹ 19.22 करोड़ (42 प्रतिशत)।

²⁰ ₹ 123.80 प्रति दिन की दर से।

²¹ पी0एम0ए0वाई0—(जी0): ₹ 16.51 करोड़ और मनरेगा ₹ 8.91 करोड़।

3.6.2.5 अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

- अनुदान सहायता के रूप में कुल ₹ 3,052.79 करोड़ की प्राप्ति के विरुद्ध, ₹ 1,072.93 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र का समर्पण लंबित था (अगस्त 2021)।
- ए0सी0 विपत्रों के माध्यम से आहरण का विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं था तथापि यह देखा गया कि लगभग ₹ 17.17 करोड़ की राशि समायोजन हेतु लंबित थी (अगस्त 2021)।

3.7 विशिष्ट बजट की समीक्षा

महिलाएं एवं बच्चे, पर्यावरण, वन, और जलवायु परिवर्तन समाज का सबसे कमजोर हिस्सा हैं और उनके लिए निर्धारित सार्वजनिक निधियों पर अधिक ध्यान देने, पारदर्शिता और तार्किक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बिहार, एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, इन आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझता है और जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट और हरित बजट तैयार किया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इनकी समीक्षा की गई और अग्रवर्ती कंडिकाओं में इनकी चर्चा की गई है।

3.7.1 जेंडर बजट की समीक्षा

जेंडर बजटिंग भारत सरकार की नीतियों और दृष्टिकोण का एक हिस्सा है, और इसका लक्ष्य महिलाओं का समग्र विकास है। भारत सरकार के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम0एच0आर0डी0) ने जेंडर बजटिंग के तौर-तरीकों और निष्पादन के पर्यवेक्षण के लिए चेकलिस्ट के साथ-साथ अनुदेश और मार्गदर्शन जारी किए (अक्टूबर 2004) जो कि नीति निर्माण और निर्णय लेने में जवाबदेही और पारदर्शिता स्थापित करने का उद्देश्य रखता है।

बिहार देश के उन अग्रिम राज्यों में से एक है जिसने वर्ष 2005-06 में भारत सरकार द्वारा पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किए जाने के 3 वर्षों के बाद 2008-09 में जेंडर बजटिंग को अपनाया। समाज कल्याण विभाग योजनाओं के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। अप्रैल 2016 में एक जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई थी और समाज कल्याण विभाग द्वारा जेंडर बजटिंग के लिए इसे राज्य आधारित एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। **तालिका 3.13** में 2016-21 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान राज्य द्वारा जेंडर बजट के तहत किए गए आवंटन का विवरण दिया गया है।

तालिका 3.13: जेंडर बजट के तहत आवंटित कुल संसाधन


(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
महिलाओं के लिए परिव्यय	15,077	20,615.4	25,573.8	30,874.49	33,176.27
राज्य बजट का कुल आकार	1,44,696	1,60,085.69	1,76,990.27	2,00,501	2,11,761
राज्य बजट में महिलाओं के लिए परिव्यय की हिस्सेदारी (%)	10.4	12.9	14.45	15.04	15.66
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं के लिए परिव्यय	3.5	4.2	4.96	5.39	4.83

(स्रोत : वर्ष 2020-21 का जेंडर बजट)

वर्ष 2020-21 के दौरान 20 विभागों के अंतर्गत जेंडर बजट के लिए ₹ 33,176.27 करोड़ आवंटित किए गए थे, तथापि महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 10 विभागों के अधीन केवल 80 योजनाएं ही चल रही थीं। महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार की गई योजनाओं पर समग्र बजट के भीतर श्रेणी अ (100 प्रतिशत – ₹ 11,901.94 करोड़ 80 योजनाओं के लिये) और श्रेणी ब (कम से कम 30 प्रतिशत – ₹ 21,274.33 करोड़ 440 योजनाओं के लिये) व्यय करने का प्रस्ताव किया गया था (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.18** में)। **चार्ट 3.9** में वर्ष 2016-21 के दौरान जीएसडीपी और कुल बजट के संबंध में जेंडर बजट के प्रतिशत पर प्रकाश डाला गया है।

चार्ट 3.9: बजट और जीएसडीपी की तुलना में जेंडर बजट



(स्रोत: बजट और जेंडर बजट 2020-21)

जेंडर बजट की वित्तीय उपलब्धि नीचे तालिका 3.14 में वर्णित है:

तालिका 3.14: जेंडर बजट का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

योजना श्रेणी	समूह (प्रतिशत व्यय के आधार पर)	योजनाओं की संख्या	जेंडर बजट (बजट अनुमान)	विनियोग लेखे के अनुसार उपलब्ध शुद्ध बजट/निधि	व्यय
अ (100%)	शून्य	29	2,688.17	2,932.69	(-)0.01
	01 से 25	7	213.37	213.37	26.06
	26 से 50	4	4,479.33	4,610.26	1,961.38
	51 से 75	10	131.86	139.86	83.67
	75 से अधिक	30	4,389.22	5,970.62	5,629.58
	कुल अ	80	11,901.94	13,866.79	7,700.69
ब (कम से कम 30%)	शून्य	97	926.81	3,017.48	0
	01 से 30	22	1,727.95	3,798.95	135.66
	30 से अधिक	321	18,619.57	56,377.74	41,136.45
	कुल ब	440	21,274.33	63,194.16	41,272.11
कुल योग		520	33,176.27	77,060.95	48,972.80

(स्रोत: 2020-21 के विनियोग लेखे के साथ जेंडर बजट)

वर्ष 2020-21 के अंत में कुल ₹ 48,972.80 करोड़ (श्रेणी 'अ' के लिए ₹ 7,700.69 करोड़ और श्रेणी 'ब' के लिए ₹ 41,272.11 करोड़) का व्यय किया गया था। इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा व्यय (84 प्रतिशत) श्रेणी 'ब' की योजनाओं में किया गया। यह गैर-विशिष्ट प्रावधानों में व्यय की सांद्रता पर प्रकाश डालता है और इस प्रकार जेंडर बजट के माध्यम से महिलाओं को वांछित स्तर तक लाभ पहुँचाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।

लेखापरीक्षा ने ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0वि0वि0) और समाज कल्याण विभाग (स0क0वि0) के संबंध में, जहां प्रमुख योजनाएं चल रही थीं, विनियोग लेखाओं के साथ जेंडर बजट (श्रेणी अ) के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण किया। कुल 48 योजनाओं में से 17 ग्रा0वि0वि0 से तथा 31 स0क0वि0 से संबंधित थे जहां क्रमश पांच और 25 प्रमुख²² योजनाएं चल रही थीं। तालिका 3.15 में इन दोनों विभागों के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान बजट और व्यय का संविक्षित आंकड़ा दिखाया गया है जबकि योजनावार विवरण परिशिष्ट 3.19 में वर्णित है।

²² प्रमुख योजनाओं का तात्पर्य पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण योजनाएँ।

तालिका 3.15: दो विभागों के तहत बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

विभाग	बजट	जेंडर बजट	श्रेणी 'अ'	मामले / योजनाओं की संख्या	व्यय		
					योजनाओं में कोई व्यय नहीं (उपलब्ध राशि प्रतिशत में)	50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत से अधिक
ग्रा0वि0वि0	15,320.33	12,672.34	8,977.92	17	12 (22.54)	01	04
स0क0वि0	7,130.41	4,276.05	801.74	31	08 (1.39)	05	18

(स्रोत - बजट अभिलेख)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों विभागों ने 12 और आठ योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया था जबकि ग्रा0वि0वि0 और स0क0वि0 के पास क्रमशः ₹ 2,249.95 करोड़ और ₹ 16.20 करोड़ की धनराशि उपलब्ध थी।

यह भी पाया गया कि जेंडर बजट के तहत तीन²³ योजनाओं में ₹ 45.06 करोड़ का प्रावधान किया गया था लेकिन विनियोग लेखों में नहीं पाया गया। फलतः लेखापरीक्षा वास्तविक व्यय को सुनिश्चित नहीं कर सकी।

राज्य सरकार ने महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए निर्मित योजना के लक्ष्यों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए 2020-21 के जेंडर बजट में पिछले वर्षों के जेंडर बजट के उपलब्धियों के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। इस प्रकार, वास्तविक व्यय प्रतिवेदन सहित किसी भी प्रकार के मूल्यांकन प्रतिवेदन/अभिलेखों के अभाव में, जेंडर बजटिंग के तहत महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए निर्मित योजनाओं के लक्ष्यों की प्रभावशीलता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।


3.7.2 बाल कल्याण बजट की समीक्षा

बिहार में कुल आबादी का 48 प्रतिशत (4.48²⁴ करोड़ बच्चे (2.35 करोड़ बालिका (47 प्रतिशत)) शून्य से 18 वर्ष की आयु वर्ग से हैं। यह कुल आबादी का सबसे कमजोर वर्ग है एवं राज्य सरकार उनके सर्वांगीण विकास के लिए लोक वित्त आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (एन0सी0टी0) और राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के आलोक में बिहार सरकार ने वर्ष 2013-14 से बाल कल्याण बजट तैयार करना प्रारंभ किया।

राज्य बाल कल्याण बजट के क्रम विकास के आंकड़े²⁵ निम्न प्रकार हैं-

चार्ट 3.10: राज्य बाल कल्याण बजट 2014-15 से 2020-21

(₹ करोड़ में)



(स्रोत : प्रासंगिक वर्षों का बाल कल्याण बजट)

²³ 01-2415017960309- ₹ 0.04 करोड़, 08-2205001020001- ₹ 2.12 करोड़, 48-2217800010101- ₹ 42.90 करोड़।

²⁴ जनगणना-2011 एवं बाल कल्याण बजट 2020-21 बिहार सरकार।

²⁵ वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक का बाल कल्याण बजट।

बाल कल्याण बजट 2020-21 के कुल प्रावधानों का वर्णन नीचे तालिका 3.16 में किया गया है:

तालिका 3.16: 2018-19 से 2020-21 तक बाल कल्याण बजट का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट	स्थापना एवं प्रतिबद्ध		राज्य योजना		केंद्र प्रायोजित योजना	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
2018-19 वास्तविक	28,552.69	9,043.76	31.67	3,567.21	12.50	15,941.71	55.83
2019-20 वास्तविक ²⁶	27,640.16	7,594.39	27.48	4,440.62	16.06	15,605.16	56.46
2020-21 बजट अनुमान	37,257.58	9,951.78	26.71	6,425.75	17.25	20,880.04	56.04

(स्रोत - वर्ष 2020-21 का बाल कल्याण बजट)

बाल कल्याण बजट में वर्णित 209 योजनाओं में से उपलब्धि प्रतिवेदन 2020-21 में केवल 125 ही सूचित किए गए। अनुमोदित विनियोग लेखों के अनुसार, यह पाया गया कि 144 योजनाओं (69 प्रतिशत) में व्यय 80 प्रतिशत से कम था। बाल कल्याण बजट के तहत बजट प्रावधानों की तुलना में वित्तीय उपलब्धि नीचे तालिका 3.17 में विस्तृत है :

तालिका 3.17: बाल कल्याण बजट का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	समूह	योजनाओं की संख्या	शुद्ध बजट (विनियोग लेखे)	व्यय (विनियोग लेखे)
1	81-100	65	25,018.18	23,474.61
2	61-80	36	5,065.04	3,569.72
3	41-60	18	3,599.93	1,879.44
4	21-40	18	8,301.45	2,973.35
5	00-20	24	1,889.66	53.52
6	शून्य	48	2,958.33	-0.01
	कुल	209	46,832.60	31,950.63

(स्रोत: 2020-21 के विनियोग लेखे और बाल कल्याण बजट)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि ₹ 2,958.33 करोड़ की निधि उपलब्ध रहने के बावजूद 48 योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया गया था। 24 योजनाओं में ₹ 53.52 करोड़ (2.83 प्रतिशत) का व्यय किया गया था जबकि ₹ 1,889.66 करोड़ उपलब्ध थे। यह परिलक्षित होता है कि बाल कल्याण बजट बच्चों के कल्याण के लिए सहायक होने के बजाय महज एक कागजी कार्रवाई के रूप में तैयार किया गया था। राज्य सरकार ने बताया कि बाल कल्याण बजट एक पृथक अभ्यास नहीं था। यह मुख्य बजट से बच्चों के लिए किए गए आवंटन का एक संग्रह मात्र है।

3.7.3 हरित बजट की समीक्षा

हरित बजट का अर्थ है पर्यावरणीय और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने हेतु बजटीय नीति-निर्माण के माध्यम से साधनों का उपयोग करना।

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि-वानिकी इसकी अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, इसके अलावा, पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। राज्य में वर्तमान में 6845 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित प्राकृतिक वन क्षेत्र है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.27 प्रतिशत है।

बिहार, भारत सरकार के अनुरूप हरित बजट तैयार करने और लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। चूंकि हरित बजट तैयार करने के लिए कोई निश्चित नियम या मानदंड नहीं है, राज्य ने विभिन्न विभागों में इन घटकों पर होने वाले व्यय को संकलित कर हरित बजट तैयार किया है। संक्षिप्त हरित बजट प्रावधान नीचे तालिका 3.18 में दिए गए हैं।

²⁶ बाल कल्याण बजट 2021-22।

तालिका 3.18: 2020-21 के दौरान हरित बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2020-21 बजट अनुमान ²⁷
1	वर्ष के लिए राज्य के बजट अनुमान	2,11,761.49
2	हरित बजट से संबंधित 19 विभागों का कुल प्रावधान	81,176.46
3	19 विभागों के हरित बजट से संबंधित प्रमुख शीर्षों में कुल प्रावधान	27,162.85
4	हरित बजट	5,693.88
5	विभागों के कुल प्रावधान में हरित बजट (प्रतिशत में) (क्रम संख्या 4 / क्रम संख्या 2 X 100) शामिल है	7.01
6	हरित बजट (प्रतिशत में) (क्रम संख्या 4 / क्रम संख्या 3 X 100) से संबंधित शीर्षों में से हरित प्रावधान	20.96

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के हरित बजट)

जांच में यह पाया गया है कि 19 विभागों की ₹ 5,693.88 करोड़ की कुल 231 योजनाओं को हरित बजट 2020-21 में शामिल किया गया है (विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.20 में)।

यह देखा गया है कि 100 प्रतिशत आवंटन के साथ समूह 'अ' के रूप में वर्गीकृत 66 योजनाओं में से केवल 10 योजनाओं में (आठ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, एक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से और एक ग्रामीण विकास विभाग से) 80 से 100 प्रतिशत आवंटन का उपयोग किया गया था, 14 योजनाओं में 50 से 80 प्रतिशत, और 29 योजनाओं में 50 प्रतिशत तक आवंटन का उपयोग किया गया था। यद्यपि कि 13 योजनाओं में वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।

इसके अलावा समूहवार योजनाओं की उपलब्धि तालिका 3.19 में प्रदर्शित है -

तालिका 3.19: हरित बजट में शामिल योजनाओं की उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

समूह	अंश	योजनाओं की संख्या		विनियोग लेखा के अनुसार			प्रतिशत में उपलब्धि
		हरित बजट	उपलब्धि प्रतिवेदन	योजनाओं की संख्या	शुद्ध बजट	व्यय	
ए	100%	66	41	64	1,873.80	672.93	35.91
बी	75-90%	10	8	10	152.50	निर्धारित प्रतिशत के अनुसार योजनाओं, बजट अनुमान तथा व्यय के वर्गीकृत सूचनाएँ उपलब्धि नहीं रहने के कारण निश्चित नहीं किया जा सका।	लागू नहीं
सी	50-75%	37	31	37	3,949.93		
डी	25-50%	29	27	29	733.34		
ई	05-25%	53	34	53	7,372.52		
एफ	01-05%	36	30	36	17,566.04		
		231	171	229	31,648.12	672.93	

(स्रोत - वर्ष 2020-21 के विनियोग बजट के साथ हरित बजट)

इस प्रकार, वास्तविक व्यय सहित किसी विशिष्ट निष्पादन/उपलब्धि प्रतिवेदन/अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा में, योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन नहीं किया जा सका। विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि हरित बजट, विनियोग लेखा और उपलब्धि प्रतिवेदन में एकरूपता नहीं थी फलतः लेखापरीक्षा प्रत्येक योजना के विरुद्ध सटीक निष्पादन को सुनिश्चित नहीं कर सका।

3.7.4 परिणाम बजट के साथ उपलब्धि प्रतिवेदन की समीक्षा

परिणाम बजट का उद्देश्य वित्तीय बजट और प्रदर्शन बजट के बीच एक सह-संबंध स्थापित करना और न केवल मध्यवर्ती भौतिक उपलब्धियों बल्कि परिणामों को भी पता लगाना था। सरकार द्वारा वित्तीय अनुरोध के माध्यम से महत्वपूर्ण संभावित भौतिक परिणाम दिखाते हुए परिणाम बजट और उपलब्धि प्रतिवेदन की पहल 2006-07 में प्रारंभ की गई थी। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्ययों की

²⁷ वर्ष 2020-21 का हरित बजट।

समीक्षा करके व्यय की उपयोगिता का आकलन किया जा सकता है। यह जनता को लक्षित परिणामों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है और सरकार की अपने वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। परिणाम बजट सरकार द्वारा व्यय की गई राशि के संबंध में भौतिक उपलब्धि निर्धारित करता है, वही उपलब्धि प्रतिवेदन निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियों को प्रस्तुत करती है।

लेखापरीक्षा ने यह आकलन करने का प्रयास किया कि क्या परिणाम बजट तैयार करने से संबंधित विभिन्न आदेशों और निर्देशों का पालन किया गया था ताकि यह अपने इच्छित उद्देश्य की पूर्ति कर सके और सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिणाम बजट की समीक्षा की गई –

- कि इसके लिए निर्धारित कानूनों, नियमों एवं विनियमों और परिणाम बजट तैयार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया गया था; तथा
- कि भौतिक लक्ष्यों की रिपोर्टिंग में विसंगतियां थीं और आंकड़े विश्वसनीय थे।

दो विभागों के वर्ष 2020-21 के परिणाम बजट की समीक्षा हेतु लेखापरीक्षा की जांच के लिए ग्रामीण कार्य विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं/ कार्यक्रमों, ग्रामीण कार्य विभाग के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और ग्रामीण विकास विभाग के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के वित्तीय परिव्यय और भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि का भी विश्लेषण किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कड़िकाओं में चर्चा की गई है।

3.7.4.1 सरकारी निर्देशों से विचलन

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, परिणाम बजट को इस तरीके से तैयार किया जाना है कि इसमें कार्यकारी सारांश, परिचय, बजट अनुमानों का विवरण, सुधारात्मक उपाय और नीतिगत पहल, पिछले प्रदर्शन की समीक्षा और वित्तीय समीक्षा शामिल हों।

वित्त विभाग प्रत्येक वर्ष विभागों द्वारा परिणाम बजट तैयार करने के लिए परिशिष्ट-XII युक्त एक परिपत्र जारी करता है। इस परिपत्र में बजट अनुमान के विवरण को छोड़कर इस प्रारूप में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप अन्य आवश्यकताओं का अभाव था। संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के परिणामस्वरूप होने वाली सामान्य बचत, योजनाओं के निष्पादन के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और योजनाओं के अप्रचलित हो जाने अथवा धन की आवश्यकता समाप्त होने के कारण अभ्यर्पण के बारे में जानकारी का अभाव था।

3.7.4.2 परिणाम बजट की तुलना में वित्तीय और भौतिक परिव्यय

क. अनुदान संख्या 37- ग्रामीण कार्य विभाग

वर्ष 2020-21 के 17 योजनाओं में से परिणाम बजट और उपलब्धि प्रतिवेदन में केवल 12 योजनाएं शामिल की गई थीं। वित्तीय उपलब्धि नीचे तालिका 3.20 में वर्णित है-

तालिका 3.20: बजट प्रावधान के विरुद्ध वित्तीय उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	योजना का नाम	विनियोग लेखे के अनुसार शुद्ध बजट	विनियोग लेखे के अनुसार व्यय	प्रतिशत उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय उपलब्धि	जमा 8443 - 8448	वास्तविक व्यय
1	बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	-

क्रम सं०	योजना का नाम	विनियोग लेखे के अनुसार शुद्ध बजट	विनियोग लेखे के अनुसार व्यय	प्रतिशत उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय उपलब्धि	जमा 8443 - 8448	वास्तविक व्यय
2	ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों की स्थापना	185.00	122.25	66.08	122.42	0.00	122.25
3	मुख्यमंत्री- ग्राम संपर्क योजना	611.72	529.32	86.53	529.32	529.32	0.00
4	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	1,392.04	1,228.34	88.24	1,228.34	1,228.34	-0.00
5	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	333.00	233.13	70.01	233.13	233.13	0.00
6	ग्रामीण विकास परियोजनाएं (नाबार्ड सहायता प्राप्त योजना)	300.00	93.00	31.00	93.00	68.00	25.00
7	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	96.19	96.19	100.00	96.19	96.19	-
8	ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना।	500.00	415.00	83.00	415.00	415.00	-
9	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एनडीबी)	700.00	455.00	65.00	455.00	455.00	-
10	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक सहायता प्राप्त)	300.00	201.00	67.00	201.00	201.00	-
11	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	5,086.00	1.13	0.02	1.13	1.13	-
12	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	105.05	49.83	47.43	49.75	-	49.83
कुल		9,619.00	3,434.18	35.70	3,434.27	3,237.10	197.07

(स्रोत - वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे, उपलब्धि प्रतिवेदन और वीएलसीआंकड़े)

जैसा कि ऊपर की तालिका से स्पष्ट है -

- कुल ₹ 9,619.00 करोड़ के प्रावधान के मुकाबले केवल ₹ 3,434.18 करोड़ (उपलब्धि प्रतिवेदन के अनुसार ₹ 3,434.27 करोड़) व्यय किए गए थे जो कुल प्रावधान के 35.70 प्रतिशत के बराबर था।
- यह भी देखा गया कि कुल ₹ 3,434.18 करोड़ व्यय के विरुद्ध ₹ 3,237.10 करोड़ (94.26 प्रतिशत) की राशि मुख्य शीर्ष 8443 और 8448 में पार्क की गई थी। लेखापरीक्षा पार्किंग की कुल राशि में से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वास्तविक व्यय की राशि को सुनिश्चित नहीं कर सकी।
- ऊपर वर्णित 12 योजनाओं में से नौ योजनाओं में धन का शत-प्रतिशत पार्किंग की गई थी।

प्रमुख कार्यक्रम पीएमजीएसवाई के वित्तीय और भौतिक परिव्यय की समीक्षा तालिका 3.21 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.21: पी0एम0जी0एस0वाई0 के वित्तीय और भौतिक परिव्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक व्यय	बजट आकलन से भिन्नता (प्रतिशत)	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत कार्य के विरुद्ध उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
2016-17	3,540.00	5,000.00	3,276.24	263.76 (7.45)	2,003	1,882
2017-18	5,500.00	4,633.00	1,539.64	3,960.36 (72.01)	850	682
2018-19	5,285.66	200.00	1,789.59	3,496.07 (66.14)	531	431
2019-20	5,286.66	540.00	1,172.87	4,113.79 (77.81)	351	207
2020-21	5,419.00	5,419.00	1,680.60	3,738.40 (68.99)	468	0

कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में भिन्नता का संकेत देते हैं

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े)

कार्यक्रमों की उपलब्धियों की तुलना में वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों की समीक्षा से पता चला है कि भौतिक लक्ष्यों और वित्तीय परिव्यय के बीच कोई सीधा सह-संबंध नहीं था। पी0एम0जी0एस0वाई0 में 2016-17 से 2020-21 के दौरान वास्तविक व्यय बजट अनुमान की तुलना में 7.45 प्रतिशत से 77.81 प्रतिशत तक कम था। वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान पुनरीक्षित अनुमान में कमी के कारण बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय में कमी भी देखी गई।

ख. अनुदान संख्या 42- ग्रामीण विकास विभाग

परिणाम बजट में शामिल सभी 29 योजनाओं को वर्ष 2020-21 के उपलब्धि प्रतिवेदन में शामिल किया गया था। योजनावार वित्तीय उपलब्धि (विपत्र कोड के लिए ध्यान दिए बिना) नीचे तालिका 3.22 में विस्तृत है-

तालिका 3.22: बजट प्रावधान के विरुद्ध वित्तीय उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	संकलित योजनाओं का नाम	विनियोग लेखे के अनुसार शुद्ध बजट	विनियोग लेखे के अनुसार व्यय	उपलब्धि प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय उपलब्धि
1	बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	3.90	1.73	1.73
2	बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना	423.40	334.49	334.49
3	सतत आजीविका योजना	150.00	97.50	97.50
4	विकास प्रबंधन संस्थान	12.01	3.96	3.96
5	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	56.00	19.05	15.48
6	मुख्यालय स्थापना	6.00	4.31	4.31
7	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	7,309.16	4,727.48	4,727.48
8	बिहार एकात्मक सामाजिक सुरक्षा परियोजना (ईएपी) को एकीकृत सुदृढीकरण	34.59	34.59	34.59
9	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	3,094.96	2,027.38	2,027.38
10	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	1,724.00	1,039.17	1,039.17
11	स्वच्छ भारत मिशन	2,024.97	656.72	656.72
12	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- मुख्यालय स्थापना	3.00	0.70	0.70
13	जल जीवन हरियाली मिशन	8.42	7.06	7.06
14	जल जीवन हरियाली	5.00	1.00	1.00
	कुल	14,855.41	8,955.14	8,951.57

(स्रोत: 2020-21 के विनियोग लेखे, उपलब्धि प्रतिवेदन)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है-

- ₹ 14,855.41 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 8,955.14 करोड़ (उपलब्धि प्रतिवेदन के अनुसार ₹ 8,951.57 करोड़) का व्यय किया गया था, जो कुल प्रावधान के 60.28 प्रतिशत के बराबर है।
- उपलब्धि प्रतिवेदन, परिणाम बजट और अन्य संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला है कि स्वच्छ भारत मिशन, एन0आर0एल0एम0 और बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन जैसी तीन योजनाओं के तहत 15 लेखा शीर्षों में कोई मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं था। हालांकि उपलब्धि प्रतिवेदन में उपलब्धि की मात्रा प्रदर्शित की गई थी।
- मनरेगा योजना में जहां लक्ष्य और उपलब्धि दोनों की मात्रा निर्धारित की गई थी, वहाँ 2,500 लाख के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 217 लाख मानव-दिवस की कम उपलब्धि प्रदर्शित थी।

प्रमुख कार्यक्रम पी0एम0ए0वाई0-(जी0) के वित्तीय और भौतिक परिव्यय की जांच के परिणाम तालिका 3.23 में दर्शाए गए हैं-

तालिका 3.23: पी0एम0ए0वाई0-(जी0) के वित्तीय और भौतिक परिव्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान से भिन्नता (प्रतिशत में)	अनुमोदित इकाई की संख्या	उपलब्धियां (संख्या)
2016-17	2,132.08	5,848.89	3,459.93	1,327.85 (62.27)	6,37,658	5,62,009
2017-18	5,821.27	4,367.27	1,004.28	(-4,816.99 (82.74)	5,38,959	4,57,363
2018-19	6,411.28	5,555.73	5,293.28	(-1,118.00 (17.43)	0	0
2019-20	5,900.00	8,432.56	5,390.93	(-509.07 (8.62)	13,02,259	935,478
2020-21	8,127.99	9,087.58	4,728.52	(-3,399.47 (41.82)	7,82,102	1,07,351

कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में भिन्नता का संकेत देते हैं
(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े)

कार्यक्रमों की उपलब्धियों की तुलना में वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों की जांच से स्पष्ट हुआ कि भौतिक लक्ष्यों और वित्तीय परिव्यय के बीच कोई सीधा सह-संबंध नहीं था। पी0एम0ए0वाई0-जी0 में 2017-18 से 2020-21 के दौरान बजट आकलन से वास्तविक व्यय नौ प्रतिशत से 83 प्रतिशत कम था, हालांकि 2016-17 में यह बजट अनुमान से 62 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2018-19 के दौरान शून्य उपलब्धियों के कारण के संबंध में विभाग का जवाब प्रतीक्षित था।

3.7.4.3 आंकड़ों की विश्वसनीयता

वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणाली, कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अनेक उपकरणों में से एक है। एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई0एम0आई0एस0) एक व्यापक वेब आधारित सूचना प्रणाली है जो राज्यों और केंद्र को कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाती है। लेखापरीक्षा अवलोकन निम्न प्रकार हैं -

अ पी0एम0जी0एस0वाई0

तालिका 3.24: परिणाम बजट और ओ0एम0एम0ए0एस में विसंगति²⁸

परिणाम बजट/उपलब्धि प्रतिवेदन के अनुसार				ओ0एम0एम0ए0एस0 के अनुसार			परिणाम बजट के लक्ष्य में ओ0एम0एम0ए0एस प्रतिवेदन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
वर्ष	लक्ष्य (किमी)	उपलब्धि (किमी)	कमी	लक्ष्य (किमी)	उपलब्धि (किमी)	कमी	
2018-19	5,800	अनुपलब्ध	--	3,960	3,199.59	760.41	46.46
2019-20	4,500	691	3,809	3,370	406.35	2,963.65	33.53
2020-21	3,600	1805	1,795	2,600	1,806.14	793.86	38.46

(स्रोत- ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार)

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, विगत पांच वर्षों में परिणाम बजट प्रतिवेदन और ओ0एम0एम0ए0एस0 (एमआईएस) प्रतिवेदन में अंकित पी0एम0जी0एस0वाई0 के लक्ष्यों के बीच बहुत भिन्नता है। यह भिन्नता 33.53 प्रतिशत से 46.46 प्रतिशत तक है। हालांकि पी0एम0जी0एस0वाई0 की उपलब्धि दोनों प्रतिवेदनों में लगभग एक जैसी थी। लेकिन निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध दोनों प्रतिवेदनों में उपलब्धि ओ0एम0एम0ए0एस0 प्रतिवेदन के निकटतम है, यद्यपि केवल 69.67 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति, यह दर्शाती है कि परिणाम बजट प्रतिवेदन के साथ-साथ ओ0एम0एम0ए0एस0 प्रतिवेदन में लक्ष्य निर्धारित करने की प्रणाली वास्तविकता से बहुत दूर थी।

ब पी0एम0ए0वाई0-(जी0)

तालिका 3.25: परिणाम बजट और आईएमआईएस प्रतिवेदन में विसंगति

वर्ष	परिणाम बजट के अनुसार (बसावटों की संख्या) ²⁹			आईएमआईएस के अनुसार (बसावटों की संख्या) ³⁰		
	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी
2016-17	6,37,658	1,72,821	4,64,837	अनुपलब्ध	1	ज्ञात नहीं
2017-18	5,38,959	1,39,839	3,99,120	अनुपलब्ध	28,135	
2018-19	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	5,81,832	
2019-20	8,00,000	1,11,540	6,88,460	अनुपलब्ध	3,76,220	
2020-21	7,00,000	8,90,264	1,90,264 अधिक	अनुपलब्ध	9,42,626	

(स्रोत उपलब्धि प्रतिवेदन और pmay.nic.in)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, 2016-21 की अवधि के दौरान पी0एम0ए0वाई0-(जी0) के परिणाम बजट प्रतिवेदन और आवास सॉफ्ट (एम0आई0एस0 प्रतिवेदन) प्रतिवेदन में लक्ष्य और उपलब्धि के बीच एक बड़ा अंतर था। आवास सॉफ्ट में लक्ष्य से संबंधित जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि योजनाओं की उपलब्धि विभाग की उपलब्धि से मेल नहीं खाती थी। आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण दो प्रकार के प्रतिवेदनों के बीच आंकड़ों का सत्यापन संभव नहीं हो सका। आंकड़ों की विश्वसनीयता संदिग्ध थी।

3.7.4.4 सी0एफ0एम0एस0 से लाभ/हानि

सी0एफ0एम0एस0 का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शिता प्रदान करना और अंतिम स्तर तक निधियों को ट्रैक करना है जिससे मध्यवर्ती विलंब को कम किया जा सके और लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया जा सके।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि दो वर्षों के कार्यान्वयन के बाद भी, सी0एफ0एम0एस0 इसके लागू किये जाने के पूर्व के समय के अवास्तविक बजट तैयार करने (कडिका 3.3.4), पूँजीगत से राजस्व और अन्य का गलत वर्गीकरण (कडिका 2.4.4.1) जैसे मामलों का समाधान नहीं कर सका है।

²⁸ ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओ0एम0एम0ए0एस0) बी0आर0आर0डी0ए0 द्वारा किए गए कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति का प्रबंधन और निगरानी के लिए एक उपकरण।

²⁹ उपलब्धि प्रतिवेदन के साथ परिणाम बजट।

³⁰ पी0एम0ए0वाई0 साईट एन0आई0सी0 द्वारा अनुरक्षित (pmay.nic.in)।

3.7.4.5 निष्कर्ष

बिहार सरकार के परिणाम बजट में संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के परिणामस्वरूप सामान्य बचत, बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र की वर्तमान स्थिति और विभाग के साथ अव्ययित शेष राशि के बारे में जानकारी नहीं दी गई। भौतिक उत्पादन लक्ष्य यथार्थवादी तरीके से तय नहीं किए गए थे। आंकड़ों में विसंगतियां थीं जिन्होंने वित्तीय परिव्यय से अपेक्षित परिणामों को मापने के लिए एक साधन के रूप में परिणाम बजट की उपयोगिता को कमजोर किया।

हालांकि, परिणाम बजट तैयार करने के दिशा-निर्देशों से विचलन ने इस मौलिक उद्देश्य को कमजोर किया। वित्तीय परिव्यय और भौतिक परिणामों के बीच कोई प्रत्यक्ष सह-संबंध नहीं था; एक ही बजटीय आवंटन के भीतर उपलब्धियां लक्ष्यों की तुलना में कम थीं; परिणाम बजट और वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणाली के बीच कार्यक्रमों के लक्ष्यों के आंकड़ों के चित्रण में विसंगति थी; और वेब आधारित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी आंकड़ों की अविश्वसनीयता से प्रभावित थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यह प्रयास बिना उचित सावधानी के किया गया था और इस प्रकार लक्षित लाभार्थियों को परिणाम बजट प्रस्तुत करके आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित लाभ नहीं पहुंचाया जा सका।

3.8 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री अधिकारियों के माध्यम से व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए ताकि अनावश्यक प्रावधान न किए जाएं, निधियों को अनावश्यक रूप से नहीं रखा जाए और अंतिम क्षणों में अभ्यर्पण और आवंटन को व्यपगत किए बिना, निधियों को शीघ्रताशीघ्र अभ्यर्पित किया जाए।

सरकार को चाहिए कि –

- सुनिश्चित करें कि सभी प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित कर दी गईं ताकि निधियों का उपयोग अन्य विकास उद्देश्यों के लिए किया जा सके।
- लगातार बचत के कारणों की समीक्षा करें और ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि आवंटित राशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- अनुदान नियंत्री अधिकारियों के पुनर्विनियोग प्रस्तावों पर तभी सहमत हों जब व्यय की प्रवृत्ति इनके लिए आवश्यक हो।
- समय पर राशि का अभ्यर्पण सुनिश्चित करें और अभ्यर्पण को कम करने के लिए विभागों को समय पर बजटीय संसूचना की एक प्रणाली विकसित किया जाय।
- वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग के दौरान व्यय की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए।
- एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) तैयार करें जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के स्तर पर आधारित सभी एसी विपत्रों की अव्ययित राशि को प्रकाश में लाने में मदद करे जिन्हें वे वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले समेकित निधि में अंतरित करने में विफल रहते हैं।
- वित्त विभाग को इस बात पर जोर देना चाहिए कि संबंधित विभाग जेंडर बजट/बाल कल्याण बजट/हरित बजट और परिणाम बजट के लिए निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ताकि सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता आ सके और कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।